

FORM NO. III





फर्द अहकाम  
(नियम 20)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
प्रेमाराम पुत्र देववक्ष जाति बागरिया  
सा. खाखड़की तह. नावां

वमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान  
ईशवरराम पुत्र देववक्ष जाति बागरिया वगै.  
सा. खाखड़की तह. नावां

किस्म कुमदमां : 212 आरटीए

मुकदमां नम्बर 176/2022 (176/2022)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जाज	नम्बर व तारीख अहकाम जो द्वारा हुक्म की तारीख में जारी हुआ
16.08.2022	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री देवीसिंह सोलंकी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण के जवाब पेश करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम खाखड़की के खसरा नम्बर 65 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 3.64 हैक्टर भूमि में विशिष्ट भू-भाग का अंकन करते हुए बैचान नहीं करें। इस आशय की अप्रार्थीगण विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्रावधान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 19.09.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       (ब्रह्मलाल जाट)                      उपखण्ड अधिकारी, नावां                 </p>	
19/9/22	<p>अधिवक्ता प्रार्थी उपरोक्त वकील प्रदत्त तामील नोटिस उपर नही. 5-तजा होमा पत्रावली दि. 6/10/22 को पेश हो</p>	
6/10/22	<p>अधिवक्ता प्रार्थी उपरोक्त प्रार्थी संख्या 2 की ओर से Adv. श्री आनंदीलाल कुमावत के जवाब पेश किया जिसकी तकलीफ प्रार्थी को दिनांक 27/9/22 पत्रावली वामे वकालत तामील दि. 13/10/22 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
13/10/22	<p>उपरोक्त उपरोक्त वकालत की तामील पेश कले हु. दिनांक की मदी दि. 13/10/22 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">  </p>	

3/11/22 पत्रावली पेश हुई। न्यायिक वार अध्यक्ष  
के द्वारा आज का स्थगन रखा  
है। पत्रावली दिनांक 10/11/22  
को पेश हो।  
SR

10/11/22 पत्रावली पेश हुई। नकुलाय उप. पीठासीन  
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार  
बधारे हैं पत्रावली दिनांक 11/11/23  
को पेश हो।  
SR

11/1/23 पत्रावली पेश वार एसोसियेशन में  
कॉन्सेल्स का कार्य स्थगन  
का निवेदन किया/ पत्रावली इलाका  
डॉक्टर दिनांक 20/2/23 को पेश हो।  
SR

20/2/23 पत्रावली पेश हुई। न्यायिक वार अध्यक्ष  
के द्वारा आज का स्थगन रखा  
है। पत्रावली दिनांक 16/2/23  
को पेश हो।  
SR

16/3/23 पत्रावली पेश हुई। न्यायिक वार अध्यक्ष  
के द्वारा आज का स्थगन रखा  
है। पत्रावली दिनांक 19/6/23  
को पेश हो।  
SR

19/6/23 पत्रावली पेश हुई। नकुलाय उप. पीठासीन  
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार  
बधारे हैं पत्रावली दिनांक 28/6/23  
को पेश हो।  
SR

28/6/23 पत्रावली न्यायालय "प्रशासन गांवों के संम  
अभियान 202" न्यायालय कोर्ट ग्राम पंचायत  
भारत निगम राजकीय सेवा केन्द्र 29/29/23  
में आज पत्रावली न्यायाधीश/प्रतिवादी  
हाजिर/न्यायाधीश/प्रतिवादी/प्रतिवादीगण  
हाजिर/न्यायाधीश/प्रतिवादीगण के माध्य राजीनामा  
नहीं हुआ। पत्रावली पुनः न्यायालय में दिनांक  
20/9/23 को पेश हो।  
SR

20/7/23 पत्रावली वारी द्वारा प्रापत्र प्रस्तुत करने पर  
आज पेश हुई वारी ने प्रापत्र पेश कर निवेदन किया  
कि वारी द्वारा वाद पत्र को भंग नहीं करना चाहिए  
है इसलिए अति विज्ञान खारिज किया जावे।  
अतः वारी का वाद पत्र अति विज्ञान खारिज  
किया जाता है पत्रावली केसल शुभारंभ कर  
नम्बर ले कम हो व खारिज करवा हो।  
SR

पु म नाम